दिनांक 13.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 13/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद बागपत/थाना बडौत

- **लूट की घटनाओं का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 15 हजार रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः12.05.2024 की रात्रि थाना बडौत व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र में पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्तों 1–लवकुश 2–देव उर्फ काला को गिरफ्तार कर लूट की घटनाओं का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 15 हजार रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना बडौत क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटनायें कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटनाओं से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बडौत पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–लवकुश निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

2–देव उर्फ काला निवासी ग्राम लुहारा थाना छपरौली जनपद बागपत।

<u>बरामदगी</u>

1—लूटे गये 15 हजार रूपये नगद।

2—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद बरेली/थाना फतेहगंज पश्चिमी

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 30 हजार 100 रूपये नगद**
- **लगभग 01 लाख 90 हजार रूपये के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 12/13.05.2024 की रात्रि थाना फतेहगंज पश्चिमी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम सोरहा के पास से 04 अभियुक्तों 1—जुबैर 2—सोमपाल 3—सलीम 4—मुन्ना उर्फ अभय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 30 हजार 100 रूपये नगद, लगभग 01 लाख 90 हजार रूपये के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त जुवैर, सोमपाल, मुन्ना उर्फ अभय के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05—05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना फतेहगंज पश्चिमी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—जुबैर निवासी ग्राम टिटौली थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

2—सोमपाल निवासी ग्राम लौहार नंगला थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

3—सलीम निवासी ग्राम सफरी थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

4—मुन्ना उर्फ अभय निवासी ग्राम लौहार नंगला थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली।

बरामदगी

1—चोरी के 30 हजार 100 रूपये नगद।

2—लगभग 01 लाख 90 हजार रूपये के चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

3—03 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय कारतूस।

5—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **4800/—रूपये नगद**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 12.05.2024 को थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर काली नदी के पुस्ता पर मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त रिजवान घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 4800/—रूपये नगद, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद बुलन्दशहर के विभिन्न थानों पर चोरी, आबकारी, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रिजवान निवासी तन्दूर वाली गली धमैडा अड्डा थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1—4800/—रूपये नगद।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद ललितपुर/थाना बानपुर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनॉकः 12/13.05.2024 की रात्रि थाना बानपुर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आमघाट के पास जामुनी नदी के किनारे खण्डहरनुमा मकान से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त हिस्ट्रीशीटर अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद ललितपुर के विभिन्न थानों पर डकैती, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गुण्डा एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बानपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम कैलगुवां थाना बानपुर जनपद ललितपुर।

बरामदगी

1–10 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–05 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **जनपद मुजफ्फरनगर/थाना कोतवाली नगर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को 10–10 वर्ष के कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376(2)(जी)/452/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–शहजाद 2–मो0शफी को 10–10 वर्ष के कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फिरोजाबाद/थाना लाइनपार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कारावास की सजा व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फिरोजाबाद द्वारा थाना लाइनपार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ जीतू को 10 वर्ष के कारावास व 18 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

––––––